कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुड़ा भवन, भोपाल 462004

क्रमांक/1409/25/न्या/आउशि/अनु.ब./22 भोपाल दिनांक 19/9/2022

प्रति,

1. प्राचार्य/शिक्षा अधिकारी
शासकीय अग्रणी महाविद्यालय
नेपानगर म.प्र. ।

2. प्राचार्य, अनुदान प्राप्त अशासकीय सेवा सदन महाविद्यालय
बुरहानपुर (म.प्र.) ।

विषयः- विशेष अनुमति याचिका (सिविल) कमांक 8747/2022 डॉ. वीरेन्द्र कुमार स्वर्णकार,सेनि सहा.प्राध्या. सेवा सदन महाविद्यालय, बुरहानपुर विरूद्ध शासन । (62 से 65 वर्ष की मध्यवर्ती अवधि के वेतन भत्तों के भुगतान संबधी) ।

संदर्भः- 1. म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग का आदेश क्रमांक 1063/1196/2022/38-3 दिनांक 13.09.22 ।
2. प्राचार्य सेवा सदन महावि. बुरहानपुर कमांक 199 दिनांक 15.09.2022 ।

---000---

उपर्युक्त विषयान्तर्गत म.प्र.शासन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 13.09.2022 द्वारा अधिवार्षिकी आयु 62 से 65 वर्ष की मध्यवर्ती अवधि के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु डॉ. वीरेन्द्र कुमार स्वर्णकार, सेनि सहायक प्राध्यापक द्वारा मान. उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका कमांक 8747/2022 में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2022 के परिपालन में मध्यवर्ती अवधि दिनांक 16.10.2011 से 15.10.2014 के वेतन भत्तो के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. मान. उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 22.08.2022 का आपरेटिंग पैरा निम्नानुसार है :-

" The respondents are hereby directed to pay the salary to the appellant as if he would have continued in service upto 65 years of age. However, the appellant shall not be entitled to any interest on such amount for the delayed period. The aforesaid exercise shall be completed and the appellant shall be paid the arrears of salary and all other benefits as if he would have continued upto 65 years of age, within a period of eight weeks from today. "

3. उक्त निर्णय के परिपालन में म.प्र.शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 13.09.2022 द्वारा दी गई स्वीकृति के अनुक्रम में प्राचार्य के संदर्भित पत्र द्वारा शिक्षाधिकारी से सत्यापित गणना पत्रक सहित प्राप्त मांग पत्र में कॉलम-7 में अंकित वांछित राशि के आधार पर कॉलम-8 अनुसार राशि स्वीकृत करते हुये बजट आवंटन किया जाता है :-

स. क	महावि. का नाम, पत्र क व दि. एवं अधिकारी का नाम	या. क. /वर्ष	मध्यवर्ती अवधि जिसका भुगतान किया जाना शेष है	कुल राशि	पेंशन के रूप में प्राप्त राशि	वांछित मांग राशि	स्वीकृत एवं आवंटित राशि	आहरण संवितरण अधिकारी का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्राचार्य, सेवा सदन महावि. बुरहानपुर 199/15.09.22 डॉ. वीरेन्द्र कुमार स्वर्णकार, से.नि. सहा. प्राध्या.	SLP.8747/22	दि. 16.10.2011 से 15.10.2014	4112927	707544	3405383	3405383	प्राचार्य शासकीय महाविद्यालय नेपानगर
	योग						3405383	

2. उपरोक्तानुसार कॉलम-8 अनुसार स्वीकृत राशि रूपये 34,05,383/- **(रूपये चौंतीस लाख पांच हजार तीन सौ तिरासी मात्र)** का कॉलम-9 में उल्लेखित आहरण अग्रणी महाविद्यालय के समक्ष अंकित डीडीओ कोड में बजट शीर्ष 044-2202-03-104-0101-3444-42-002 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में विकलनीय होगा ।

निरंतर...2

Scanned with CamScanner

3. उक्त आवंट्ति राशि से भुगतान करने के पूर्व संबंधित अधिकारियों से वचन पत्र प्राप्त किया जावे कि "यदि वेतन भत्तों में अधिक भुगतान होने की स्थिति में अधिक भुगतान की गई राशि याचिकाकर्ता से वसूल योग्य होगी और संबंधित अधिकारी उस राशि जमा करने के लिये बाध्य होगा।"

4. आवंट्ति राशि से केवल अनुदान हेतु शासन द्वारा स्वीकृत, अनुमोदित एवं मान्य पदों पर नियुक्तियों पर कार्यरत शिक्षकों/कर्मचारियों को वेतन भत्तों के एरियर्स के लिए देय राशि का ही आहरण किया जायेगा।

5. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत किया जा रहा है। समय-समय पर शासन द्वारा अनुदान राशि के संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

6. स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र. से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक आडिट होना सुनिश्चित करने के निर्देश है। पूर्व वर्षो में आडिट आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण होना सुनिश्चित करावें।

7. उक्त आवंटित राशि से संबंधित लेखे महालेखाकार/वित्त विभाग/स्थानीय निधि संपरीक्षा/उच्च शिक्षा विभाग के लेखा परीक्षण दलों के लिये इनके विवेकानुसार जांच हेतु खुले रहेंगे।

8. यह भी निर्देशित किया जाता है कि समस्त आहरण संवितरण अधिकारी वित्त संहिता के नियम 175-176 में दिये गये निर्देशों का पालन करते हुये राशि का आहरण एवं भुगतान करना सुनिश्चित करें ।

9. उक्त आवंटन राशि से संबंधित अधिकारी को देय राशि का मिलान यदि पूर्व में इस अवधि के लिये कोई राशि भुगतान की गई हो तो उस राशि का एवं उनको प्राप्त पेंशन राशि का संबंधित बैंक से स्टेटमेंट प्राप्त कर उससे मिलान करने और समायोजन के पश्चात ही भुगतान करना सुनिश्चित करें।

10. दिनांक 01.04.2000 के पश्चात् नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा दिनांक 23.01.2003 के पश्चात् अनुकंपा नियुक्ति (कोविड-19 विशेष अनुकंपा नियुक्ति योजना के अंतर्गत नियुक्ति को छोड़कर) प्राप्त कर्मचारी को वेतन भत्तो का भुगतान उक्त आवंटन में से नहीं किया जावे।

11. किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान/व्यय की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य/संस्था एवं अग्रणी महाविद्यालय की संयुक्त रूप से होगी।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित)

(डी. एस. हाड़ा)
संयुक्त संचालक-वित्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/ 1403 /25/न्या/आउशि/अनु.ब./22 भोपाल दिनांक 19/9/2022

प्रतिलिपिः-

1. निज सहायक, मान. मंत्रीजी/राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा की ओर अवगतार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के स्टाफ अधिकारी, मंत्रालय, भोपाल।
4. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर।
5. क्षेत्रीय अतिरिक्त् संचालक, उच्च, शिक्षा,इंदौर संभाग,इंदौर ।
6. वि.क.अ. न्यायालयीन प्रकोष्ठ, कार्या. आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल ।
7. संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी, मध्यप्रदेश ।
8. संबंधित अधिकारी, अनुदान प्राप्त अशासकीय सेवा सदन महाविद्यालय, बुरहानपुर ।

........की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

19/9/22
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

Scanned with CamScanner